

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

सं.एफ.....

दिनांक:

विषय: हेतु आवेदन (कृपया एक ✓ पर करें)	विजिटिंग आचार्य/संकाय/फेलो (केवल 3 माह हेतु)	अल्पकालीन प्रशिक्षण (केवल 6 माह हेतु)	दीर्घकालीन प्रशिक्षण (केवल 2 वर्ष तक)
	☐	☐	☐

1. नाम (साफ साफ लिखें): _____
2. पिता का नाम: _____
3. जन्मतिथि: _____
4. स्थायी पता: _____

राजपत्रित अधिकारी द्वारा
विधिवत प्रमाणित अभी
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का फोटोग्राफ

5. पत्रव्यवहार का पता: _____

6. टेलीफोन/फैक्स सं. एवं ई-मेल पता (यदि कोई है): _____

7. नागरिकता _____

8. शैक्षिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर): _____

9. द्वारा प्रायोजित (कृपया केवल एक पर ✓ करें): विश्वविद्यालय/कालेज अस्पताल/संस्थान रक्षा कार्मिक

10. प्रायोजित प्राधिकारी का नाम: _____

11. प्रायोजित प्राधिकारी का पद: _____

(जैसे सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त, जन स्वास्थ्य, एम.सी.आई./डी.सी.आई./एन.सी.आई. अनुमोदित आदि)

12. कार्य करने का अनुभव (यदि कोई है): _____

13. यदि सेवारत/कार्यरत है: _____

(वर्तमान पद का नाम/धारित पदनाम एवं पद का कार्यग्रहण की तारीख)

14. नियमित/अस्थायी/तदर्थ/संविदा/प्रेक्टिसनर के रूप में कार्यरत _____

15. प्रशिक्षण की विशिष्ट अवधि एवं तारीख: _____

(प्रशिक्षण की अवधि (माह से), प्रशिक्षण को आरंभ करने एवं समाप्ति होने की तारीख)

16. विषय/विभाग _____

(विभाग का नाम जिसमें प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है, केवल एक विभाग का नाम लिखें)

घोषणा: मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरे पूर्ण विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य है और मैं एम्स के नियमों एवं विनियमों का पालन करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रायोजक प्राधिकारी (मुहर सहित)

नोट: कृपया आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित लगाएं

- (i) प्रायोजक प्राधिकारी का मौलिक रूप से पत्र
(ii) सभी प्रमाण पत्रों/ शंसापत्रों की प्रतिलिपियां

(उम्मीदवार को यह परामर्श दिया जाता है कि इस प्रपत्र को भरने से पूर्व निदेश/मार्गदर्शन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और इस प्रपत्र के हरेक कालम को भरें)

(अपूर्ण आवेदनों को सीधे रद्द कर दिया जाएगा)

यह प्रारूप एम्स की वेबसाइट www.aiims.ac.in पर भी उपलब्ध है।

अल्प/दीर्घकालीन प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शन

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अल्पकालीन प्रशिक्षण, दीर्घकालीन प्रशिक्षण एवं अभ्यागत आचार्य के लिए संबंधित नियमावली एवं निबंधन एवं शर्तों का विवरण निम्नप्रकार से है:

(क) अल्पकालीन प्रशिक्षण 6 माह की अवधि हेतु

सरकार/स्वायत्त निकायों या संस्थान/सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र संगठन/एम.सी.आई./डी.सी.आई./एन.सी.आई मान्यताप्राप्त मेडिकल/डेंटल कॉलेज तथा सरकार/रक्षा सेवाओं द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

अल्पकालीन प्रशिक्षण निजी व्यवसायियों को नहीं प्रदान किया जाएगा।

- शुल्क:- प्रशिक्षणार्थियों (भारतीय नागरिकों से रु. 1000/- और विदेशी राष्ट्रों/नागरिकों से 200 यू.एस. डालर के समतुल्य भारतीय रुपयों में प्रतिमाह वसूल किया जाएगा। यद्यपि केवल रक्षा सेवाओं से प्रायोजित उम्मीदवारों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- किसी विशेष विभाग में एक निश्चित समय में दीर्घकालीन/अल्पकालीन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या विभाग के संकाय की स्वीकृति संख्या की 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण का आयोजन संबंधित विभाग/विषय के साथ परामर्श करके और समय तथा प्रशिक्षण की अवधि के बारे में प्रशिक्षणार्थी को आपस में संबंधित विभाग/विषय के साथ मिलकर तय करना है। यह प्रशिक्षण किसी डिग्री/डिप्लोमा एवार्ड को नहीं दर्शाता है। तथापि रक्षा सेवाओं द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारसे कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं ली जाएगी।

छात्रावास में आवास की कमी के कारण, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण के लिए संस्थान में आने वाले बाहरी उम्मीदवारों को रहने के लिए अपना प्रबंध स्वयं करना होगा। संस्थान द्वारा कोई भी छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जाता है।

(ख) दीर्घकालीन प्रशिक्षण 6 माह से 2 वर्ष तक

यह प्रशिक्षण केवल भारत सरकार/अर्ध सरकारी/स्वायत्त निकाय/संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों/सार्वजनिक रक्षा सेवाएं से प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा। निजी व्यवसायिकों/गैर-सरकारी संगठनों को दीर्घकालीन प्रशिक्षण की अनुमति नहीं है।

“स्नातकोत्तर उपाधि धारकों एवं नियमित आधार पर कार्यरत कर्मिकों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

- शुल्क:- प्रशिक्षणार्थियों (भारतीय नागरिकों से रु. 1000/- और विदेशी राष्ट्रों/नागरिकों से 200 यू.एस. डालर के समतुल्य भारतीय रुपयों में प्रतिमाह वसूल किया जाएगा। यद्यपि केवल रक्षा सेवाओं से प्रायोजित उम्मीदवारों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- किसी विशेष विभाग में एक निश्चित समय में दीर्घकालीन/अल्पकालीन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या विभाग के संकाय की स्वीकृति संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण का आयोजन संबंधित विभाग/विषय के साथ परामर्श करके और समय तथा प्रशिक्षण की अवधि के बारे में प्रशिक्षणार्थी के आपस में संबंधित विभाग/विषय के साथ मिलकर तय करना है। यह प्रशिक्षण किसी डिग्री/डिप्लोमा एवार्ड को नहीं दर्शाता है। तथापि रक्षा सेवाओं द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार से कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं ली जाएगी। छात्रावास में आवास की कमी के कारण, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण के लिए संस्थान में आने वाले बाहरी उम्मीदवारों को रहने के लिए अपना स्वयं प्रबंध करना होगा। संस्थान द्वारा कोई भी छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जाता है।
- विदेशी राष्ट्रों/नागरिकों के प्रशिक्षणार्थियों को पर्यवेक्षक के रूप में माना जाएगा और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें हँड्सऑन ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि विदेशी प्रशिक्षणार्थी है और वह हँड्स ऑन ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसे एम.सी.आई. से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।
- इस संस्थान में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह संबंधित केन्द्र अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन करने के लिए प्रमाण पत्रों/शंस पत्रों की फोटोकॉपी सहित अपना जीवनवृत्त भेजे।

अन्य निबंधन एवं शर्तें

- एक सेवारत कर्मचारी(यो)/प्रशिक्षार्थियों को अल्प/दीर्घ कालीन प्रशिक्षण/अभ्यागत आचार्यवृत्ति/संकाय/फेलो हेतु आवेदन की उपाधि/शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित फोटोकॉपी सहित उनका पूर्ण इतिवृत्त के साथ उचित माध्यम द्वारा भेजे(अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी, प्रशासन/मुख्यालय द्वारा/संकायाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति। संस्थान संगठन प्रायोजित प्राधिकारियों का मूल पत्र अपेक्षित है। अतः पहली बार में ही अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करें। सभी पत्राचार के संकायाध्यक्ष/कुलसचिव, शैक्षिक अनुभाग-2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 को सम्बोधित होनी चाहिए।
(आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (क्षों)/स्व प्रायोजित उम्मीदवारों द्वारा अग्रेषित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।)
- संस्थान द्वारा अनिवार्य रोटेटिंग हाउसमैनसिप/इंटर्नसिप/परियोजना कार्य/शोध कार्य/अनुसंधान अध्ययन/कायर्/शोध। नैदानिक तैनाती हेतु अनुमति नहीं दी जाती है (जोकि उनके उपाधि) कोर्स/पाठ्यक्रम का एक भाग है।
- कृपया एम्स प्राधिकारियों से उनके संबंधित औपचारिकताएं/कार्यालय अनुमति का पूर्ण करने के लिए कागजात की प्रक्रिया में कम से कम 3-4 सप्ताह का समय को दें। प्रशिक्षणार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि कृपया वे अपने संबंधित प्रायोजित प्राधिकारी (संगठन/कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान) के संपर्क में रहे।

(ग) अभ्यागत आचार्यवृत्ति/अभ्यागत संकाय/अभ्यागत फेलो

संकाय सदस्य/वरिष्ठ परामर्शदाताया तो भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रों के केवल मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों/अस्पतालों से बिना कोई शुल्क लिए अभ्यागत फेलो/प्रोफेसरसिप/संकाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एम्स में उनके विजिट की अवधि एक बार में 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। विदेशी नागरिकों को केवल पर्यवेक्षक के रूप में लिया जाएगा। उन्हें एम.सी.आई. की अनुमति के बगैर हाथ से नैदानिक प्रशिक्षण करने की अनुमति नहीं होगी। अतिथि आवास को केवल उपलब्ध होने पर ही उन्हें सामान्य भुगतान के आधार पर दिया जाएगा। संस्थान द्वारा उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।

अभ्यागत आचार्यवृत्ति/अभ्यागत संकाय/विजिटिंग फेलो के लिए सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा, यदि उम्मीदवार को उनके मेडिकल कॉलेज/संस्थानों द्वारा प्रयोजित किया गया है।

(प्राधिकार: शैक्षिक समिति की दिनांक 17.06.2005 को आयोजित बैठक में मद संख्या ए.सी. 16/6 एवं शासी निकाय की दिनांक 05.07.2005 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया गया है।)